


1/2/21

वकील कारी उद्योग वकील कारी को प्रति-सं.
6, 22 ला 0 16 व 31 की तमकी हेतु तमकाना
पेश कने हेतु डि 25/9/19, 31/10/19 को
आदेशित किया गया। तमकी हेतु तमकाना
पेश कने हेतु डि 29/10/20 व 19/11/20
को न्यायदिव में अन्तिम अवकाश दिये जाने
उपरान्त भी वादी ने उक्त प्रतिकादीकरण की
तमकी रफिंडाफ तमकाना पेश नहीं किये
अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 09 R O S C P E
के तहत अदरु तकमील में दाखिलदफतर हो।
(सुनाया गया)


सहायक कलक्टर
अलवर

